



रोज-रोज सुबह की सैर या व्यायाम करने से जी चराने वाले और अति व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल पाने वाले वालों के लिए जापान के शोधकर्ताओं ने अच्छी खबर सुनायी है कि, केवल सप्ताहांत में दो दिन 8,000 कदम चलने से असामयिक मौत का खतरा कम किया जा सकता है। क्योटो युनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन समेत कई संस्थानों के शोधकर्ताओं के समूह ने बताया कि, जो लोग प्रति सप्ताह एक या दो दिन रोजाना कम से कम 8,000 कदम चलते हैं, उनमें 10 साल के बाद मौत के जोखिम में उतनी ही कमी देखी गयी, जितनी कि प्रति सप्ताह तीन से सात दिन तक चलने वाले लोगों में थी। यह अध्ययन हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जामा नेटवर्क ओपन मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने 2005 और 2006 के बीच किये गये एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग किया, जिसमें 20 या उससे अधिक उम्र के 3,101 लोगों द्वारा प्रतिदिन चले गये कदमों और 10 साल बाद मौत के जोखिम के बीच संबंध का अध्ययन किया गया। अध्ययन के अनुसार जो लोग एक या दो दिन और तीन से सात दिन में प्रतिदिन कम से कम 8,000 कदम चले, उनमें से तीन से सात दिन के समूह में मृत्यु दर 16.5 प्रतिशत कम दर्ज की गयी, जबकि एक या दो दिन चलने वाले समूह की मृत्यु दर 14.9 प्रतिशत कम थी। सप्ताहांत पर सैर की सलाह देने वाले क्योटो युनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर कोसुके इनागे ने कहा, अब हर दिन सैर के लिए दबाव महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तृणमूल, एन.सी.पी. व सी.पी.आई. को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा

चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीना, साथ ही चुनाव आयोग ने आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। ममता बनर्जी की टी.एम.सी. और शरद पवार समेत कई दलों को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, एन.सी.पी., सी.पी.आई. और ए.आई.टी.सी. से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। एन.सी.पी. और ए.आई.टी.सी. को नागालैण्ड और मेघालय में राज्य दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिलने पर खुशी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी? ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत-बहुत बधाई। देश के करोड़ों

जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी? ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत-बहुत बधाई। देश के करोड़ों

लोगों ने हमें यहां तक पहुंचाया है। लोगों को हम से बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। वहीं बी.आर.एस को आंध्र प्रदेश में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। वहीं बी.आर.एस को आंध्र प्रदेश में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है।

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक राज्य पार्टी के रूप में अमान्य किया गया है। मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है।

महाराष्ट्र में मंदिर में नीम का पेड़ गिरा, 7 की मौत

अकोला, 10 अप्रैल (वार्ता)। महाराष्ट्र में अकोला जिले के पारस गांव में एक टीन की छत पर नीम का पेड़ गिरने से एक धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए कम से कम सात श्रद्धालुओं की मौत हो गयी, जबकि अन्य 36 घायल हो गये।

महाराष्ट्र के अकोला जिले में पारस मंदिर में कई लोग धार्मिक समारोह में शामिल हुये थे, इस दुर्घटना में अन्य 36 लोग घायल हो गये।

एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना बालापुर तालुका के पारस गांव में स्थित बाबूजी महाराज मंदिर में रविवार की रात हुई, जब कुछ लोग महाभारत के लिए एकत्रित हुए थे। उस इलाके में तेज हवा और बारिश के कारण मंदिर परिसर में नीम का एक पेड़ टीन की छत पर गिर गया।

झालावाड़ में 2 और बीकानेर में एक करोना संक्रमित की मौत

प्रदेश के 16 जिलों में 197 नए कोविड रोगी मिले सोमवार को

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर, 10 अप्रैल। वर्तमान में राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले करोना महामारी की चपेट में हैं। सोमवार को झालावाड़ में दो तथा बीकानेर में एक करोना संक्रमित रोगी की मौत हो गई, जबकि 16 जिलों में 197 नए मरीज भी सामने आए हैं। चिंताजनक बात यह है कि, प्रदेशभर में इकट्ठे किये गए मात्र 1348 सैंपल्स में से यह मरीज मिले हैं।

चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को जयपुर 55, राजसमंद में 35, झालावाड़ में 22, उदयपुर व जोधपुर में 16-16, अलवर में 13, अजमेर में 10, पाली में 8, बांसवाड़ा में 5, टोंक व बूंदी में 4-4, चित्तौड़गढ़ में 3, चित्तौड़गढ़ में 3, सवाईमाधोपुर और चूरू में 2-2 तथा कोटा व श्रीगंगानगर 1-1 नया करोना संक्रमित मिला है। सोमवार को मात्र 41 संक्रमित मरीज रिक्तवर होकर घर लौटे हैं, फिलहाल 804 एक्टिव केस प्रदेश में मौजूद हैं। उधर प्रदेश में तेजी से बढ़ते करोना

इनमें सबसे ज्यादा 55 संक्रमित जयपुर में मिले हैं। फिर राजसमंद में 35, झालावाड़ में 22, उदयपुर व जोधपुर में 16-16, अलवर में 13, अजमेर में 10, पाली में 8, बांसवाड़ा में 5, टोंक व बूंदी में 4-4, चित्तौड़गढ़ में 3, सवाईमाधोपुर व चूरू में 2-2, कोटा व श्रीगंगानगर में 1-1 संक्रमित मिला है।

संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग की हरकत में आया है। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा सचिव टी. रविकान्त और चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव डॉ. पृथ्वी ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर कोविड प्रबंधन पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिये कि जहां-जहां पर तेजी से कोविड रोगी मिल रहे हैं, वहां-वहां सैंपलिंग बढ़ाई जाये। साथ ही प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मॉकड्रिल, रिपोर्टिंग व अन्य उपचार सेवाओं पर भी निगरानी रखी जाये।

टी. रविकान्त ने कहा कि, आइटडोर में आने वाले तमाम मरीजों में कोविड लक्षण पाये जाने पर उनको कोविड सैम्पलिंग अनिवार्य रूप से करी संकलित सैम्पलों को जांच के लिए

निर्धारित केंद्रों पर यथाशीघ्र भिजवाने तथा संक्रमित मरीजों को निर्धारित

पायलट के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जयराम रमेश द्वारा लिखे गये उस पत्र के बाद, जिसमें साफ तौर पर यह घोषणा की गई थी कि राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव गहलोत के नेतृत्व में लड़े जायेंगे, पार्टी महासचिव तथा राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट से बात करने तथा उनके इस विरोध-प्रदर्शन को कर्नाटक के चुनाव समझ हो जाने तक टाल देने के लिये उन्हें तैयार करने के मामले में कोई तत्परता नहीं दिखाई। सूत्रों का कहना है कि रंधावा मंगलवार शाम तक जयपुर पहुंचेंगे तथा तब तक पायलट का अनशन समाप्त हो चुका होगा।

पिछले साल के पंजाब के चन्नी-सिद्ध अनुभव से डरे हुये, कांग्रेस नेतृत्व गहलोत और पायलट के बीच संतुलन की कोशिशों पर जोर दे रहा। लेकिन दोनों के बीच के संबंध ऐसे बिन्दु पर पहुंच गये हैं, जहाँ से लौटना संभव नहीं है। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में, कुछ न कुछ तो टूटने ही।

गहलोत ने रंधावा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गहलोत की टीम ने पूरी तरह "मैनेज" कर लिया है।

सूत्रों का कहना है कि रंधावा मंत्री रामलाल जाट के आवास में रह रहे हैं जो कि धर्मेश राठीड़ के आलीशान घर के बगल में है। धर्मेश राठीड़ के खिलाफ ए.आई.सी.सी. की अनुशासन समिति ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है।

रंधावा के लिये धर्मेश राठीड़ ने घर तैयार किया है। राजस्थान में सवाल यह पूछा जा रहा है कि रंधावा एक तरफा गेम खेल रहे हैं तो फिर वे न्याय कैसे करेंगे। अशोक गहलोत और उनके समर्थकों की टीम ने पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दबाव के लिये हमेशा धन बल का इस्तेमाल किया है। एक के बाद एक महासचिवों को इस गूट को मैनेज कर लिया, फिर इन सभी ने खुल कर गहलोत का पक्ष लिया है। अब रंधावा भी एक और अविनाशक बल बन गए हैं।

राजस्थान के महासचिव प्रभारी रहे पांडे ने तो जयपुर पहुंचने से पहले ही गहलोत का गुणगान शुरू कर दिया था और यही रंधावा के साथ हो रहा है लगता है उन्होंने भी समझौता कर लिया है और कांग्रेस ने राजस्थान के घटनाक्रम पर ऑफेंसिव टोन ली है, भले ही इसकी कीमत पार्टी को चुकानी पड़े।

देश भर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति जांच की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाय. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने एडवोकेट अजय शंकर श्रीवास्तव की अपील पर वह आदेश पारित किया। श्रीवास्तव ने सभी राज्य बार कार्डिनल को दिए गए बी.सी.आई. के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस चौहान के अलावा कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रोफेसर मैमन, सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और मनिन्दर सिंह तथा बी.सी.आई. द्वारा मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड बिना कोई शुल्क लिए डिग्री की सत्यापन की पुष्टि करेंगे। आदेश में कहा गया है कि, हम आग्रह करते हैं कि समिति पारस्परिक रूप से विचार कर सुविधाजनक तिथि और समय से काम शुरू करें और 31 अगस्त 2023 तक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार घटा

ढाका, 10 अप्रैल (वार्ता)। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च के अंत तक 3.14 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो दिसंबर 2016 के बाद सबसे निचला स्तर है। बांग्लादेश बैंक (बी.बी.ई.) के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.11,427.2 लाख डॉलर था। यह फरवरी में 3,23,337.1 लाख डॉलर था। बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार एवं ट्रेजरी प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह दिसंबर 2016 के बाद से बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे निचला स्तर है। साल 2016 में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 32 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया था। अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन संकट के कारण आयात लागत बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार छह साल के निचले स्तर पर आ गया है।

शिव कुमार ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकती है तथा कांग्रेस एक स्वर्णिम अवसर को खत्म कर गवां रही है।

सिद्धार्थमैया ने स्वयं को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने का मजबूत प्रयास किया है, लेकिन शिव कुमार के "खड़गे कार्ड" को इसके पलटवार के रूप में देखा जा रहा है।

पार्टी हलकों में एक अन्य दलित नेता सी.के. परमेश्वर के नाम की चर्चाएं हैं। इसे भी सिद्धार्थमैया की संभावनाओं की लुटिया डुबोने के रूप में देखा जा रहा है।

सिद्धार्थमैया के विश्वासपात्र बी.एस. शिवान्ना ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके खड़गे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चलाया अनुचित है। शिवान्ना खड़गे को एक राष्ट्रीय नेता एवं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं।

खड़गे की मुख्यमंत्री बनने की पहले भी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन कुछेक बार वह यह मौका चूक गए। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की मोडिया विंग के अध्यक्ष प्रियंक खड़गे ने कहा कि इस स्थिति में मुख्यमंत्री को लेकर बात करना काफी जल्दबाजी होगी। शिव कुमार खेमा भी अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर हाथ धरे नहीं बैठे। उनके खेमे के लोगों का मानना है कि जिन लोगों को पहले मौका मिल चुका है, उन्हें अन्य लोगों को मौका देना चाहिए। जो नेता शिव कुमार के निकट हैं, उनका कहना है कि पार्टी के अधिकांश पदाधिकारियों का मुद्दा यही है कि शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका देना चाहिए। उनमें एक पूर्व मंत्री टी.बी. जयचन्द्र भी शामिल हैं।

पायलट के अनशन से गहलोत... 'राहुल गांधी अब सिर्फ "ट्रोल" तक ही सीमित रह गये हैं'

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है कि पार्टी शीघ्र ही कोई कठोर निर्णय ले।

राशिद अल्वी ने कहा, "पार्टी हाई कमान को कार्यवाही करनी ही पड़ेगी।" मोडिया का एक वर्ग, जो आमतौर से गहलोत का पक्ष लेता है, ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है कि नेतृत्व गहलोत का समर्थन कर रहा है और हो सकता है कि पायलट कांग्रेस छोड़ने का आश्वासन देकर तैयार कर रहे हों। लेकिन इस बात में रती भर भी सच्चाई नहीं है क्योंकि पायलट लम्बी लड़ाई के लिये तैयार है।

गहलोत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस घृणित एवं तिरक लड़ाई का कोई आसान समाधान नहीं है।

सन् 2020 में, जिस साल सारी दुनिया में कोविड फैला था, पायलट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना पहला बड़ा विद्रोह किया था तथा काफी दिनों तक दिल्ली के नजदीक डेरा डाले रहे थे, किन्तु गांधी परिवार के साथ हुई

जैसा कि विदित ही है, पायलट गहलोत स्पर्धा, 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ही शुरू हो गयी थी। पर, पायलट ने अनिच्छा से गहलोत का नम्बर दो होना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि गहलोत ने हाई कमान से वादा किया था कि, दो साल बाद वे पायलट के लिये मु. मंत्री पद खाली कर देंगे, पर, जब गहलोत अपने वादे से मुकड़े तो, पायलट ने गहलोत की खिलाफत का झण्डा उठाया।

उनकी मीटिंग तथा उनकी समस्या के समाधान के आश्वासन के बाद, पायलट ने अपने कदम पीछे हटा लिये थे।

उस बात को तीन साल हो गये, लेकिन पैच-अप की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा के शीघ्र बाद ही, राजस्थान में एक एकल प्रचार अभियान शुरू किया था। अब तक की स्थिति यह है कि उस अभियान से दुश्मनी और बढ़ी ही है और यह चीज दोबारा निर्वाचित होकर सत्ता में आने की कोशिश कर रही पार्टी के लिये अच्छी नहीं है।

गहलोत-पायलट की लड़ाई, जो राजस्थान में 2018 की कांग्रेस की जीत के बाद ही शुरू हो गई थी, अंदर ही अंदर घघकती रही है। हालांकि पायलट शुरू में गहलोत के साथ एक गौण नेता के रूप में काम करने के लिये सहमत हो गये थे क्योंकि गहलोत ने पार्टी हाई कमान से वादा किया था कि अपने उपमुख्यमंत्री के लिये मुख्यमंत्री की कुर्सी आधी अर्धघंटे के बाद छोड़ देंगे।

लेकिन जब गहलोत ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो पायलट ने दो साल बाद विद्रोह करते हुये, सत्ता में बेहतर हिस्से की मांग की दी।

जैसा कि विदित ही है, पायलट गहलोत स्पर्धा, 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ही शुरू हो गयी थी। पर, पायलट ने अनिच्छा से गहलोत का नम्बर दो होना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि गहलोत ने हाई कमान से वादा किया था कि, दो साल बाद वे पायलट के लिये मु. मंत्री पद खाली कर देंगे, पर, जब गहलोत अपने वादे से मुकड़े तो, पायलट ने गहलोत की खिलाफत का झण्डा उठाया।

उनकी मीटिंग तथा उनकी समस्या के समाधान के आश्वासन के बाद, पायलट ने अपने कदम पीछे हटा लिये थे। उस बात को तीन साल हो गये, लेकिन पैच-अप की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा के शीघ्र बाद ही, राजस्थान में एक एकल प्रचार अभियान शुरू किया था। अब तक की स्थिति यह है कि उस अभियान से दुश्मनी और बढ़ी ही है और यह चीज दोबारा निर्वाचित होकर सत्ता में आने की कोशिश कर रही पार्टी के लिये अच्छी नहीं है।

गहलोत-पायलट की लड़ाई, जो राजस्थान में 2018 की कांग्रेस की जीत के बाद ही शुरू हो गई थी, अंदर ही अंदर घघकती रही है। हालांकि पायलट शुरू में गहलोत के साथ एक गौण नेता के रूप में काम करने के लिये सहमत हो गये थे क्योंकि गहलोत ने पार्टी हाई कमान से वादा किया था कि अपने उपमुख्यमंत्री के लिये मुख्यमंत्री की कुर्सी आधी अर्धघंटे के बाद छोड़ देंगे। लेकिन जब गहलोत ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो पायलट ने दो साल बाद विद्रोह करते हुये, सत्ता में बेहतर हिस्से की मांग की दी।

जैसा कि विदित ही है, पायलट गहलोत स्पर्धा, 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ही शुरू हो गयी थी। पर, पायलट ने अनिच्छा से गहलोत का नम्बर दो होना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि गहलोत